<u>शिकायतकर्ता :</u>
चंद्रकला ठाकुर
पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना -141007
Mob. 79735-71454

दिनांक : <u>20.08.2017</u>

सेवा में,

Duty Magistrate Ekta
J.M.F.C. Court,
(4th Floor), Ludhiana

विषयः <u>मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद के साथ की गई धोखाधड़ी की सबूतों के साथ चार महीने पहले दी गई शिकायत पर कार्यवाही न करके उन पर ही झूठी तीन-तीन F.I.R. दर्ज करने के मामले में संज्ञान लेते हुये कार्यवाही किये जाने हेतु|</u>

महोदय,

मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद ने Paytm के द्वारा उसके खाते से चोरी किये जाने के मामले में चार महीने पहले शिकायत की थी मगर उस मामले में पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही F.I.R. दर्ज की गई|

मगर रंजिश के तहत कि, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद ने शिकायत क्यों की? के नाम पर अपराधियों व भ्रष्ट अधिकारियों ने इन दोनों पर ही तीन-तीन झूठी F.I.R. दर्ज करवा दी है और जान से मारने का भी कहा जा रहा है|

इस मामले में मेरी व मेरे बेटे की तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग व अन्य विभागों में शिकायत की थी, जिसमें केवल पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग से ही इंक्वारी माँगी गई बाकि किसी भी विभाग से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है| कल दिनांक 19.08.2017 को सुबह 5.00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना व दस्तावेज़ दिखाये बेटे का अपहरण किया व पूरे दिन गायब रखा जिसकी वजह से सेशन कोर्ट में आवेदन दिया गया|

जब काफी फोन व ईमेल किये गये तब कहीं जाकर रात 10.30 बजे पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल में रखा है, ऐसा पता चला|

मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को अपराधियों के व भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत किये जाने की वजह से परेशान किया जा रहा है उसकी जान का खतरा है|

मैं चाहती हूँ कि, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद के मामले को खुद संज्ञान में लेते हुये सारे शिकायती दस्तावेज़ देखें व मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाँच करवाये जिससे मेरे बेटे व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को इंसाफ मिल सके व न्याय की जीत हो|

<u>मैं निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही के लिये प्रार्थना करती हूँ :</u>

1. Paytm से धोखाधड़ी के मामले में संज्ञान लेते हुये पुलिस को F.I.R. दर्ज करने का आदेश दें|

2. सुबह 5.00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना व दस्तावेज़ दिये धक्के मार कर कॉलर व गर्दन पकड़कर अपहरण करके ले गये और रात 10.30 बजे तक कोई खबर नहीं मिली बीच में CIA के ऑफिस में इन दोनों को बस्ती जोधेवाल पुलिस थाने के सिपाही लेकर आये थे जिसका हम लोगों को वहाँ खड़े होने की वजह से पता चला तब वहाँ के बड़े अधिकारी से मिलने व जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो वहाँ के इंचार्ज जतिंदर कुमार द्वारा लगभग धक्का देते हुये बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मिलने ही नहीं दिया गया जिससे मेरे बेटे को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है कि जानकारी मुझे नहीं हुई और ना ही मुझे अभी तक गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ दिया गया है|

3. पुलिसवालों की वेबसाईट पर ही 'सिटिज़न चार्टर' में डी.के.बासु की गाईडलाईन दी गई है जिसका पूरी तरह उल्लंघन किया गया है अतः संज्ञान में लें व कार्यवाही करें|

4. Justice A N Mullah called the police an organized gang of criminals, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुये हमारे द्वारा भेजी गई शिकायती दस्तावेज़ों को देखते हुये मामले की गंभीरता को संज्ञान में लें और उचित कार्यवाही करें|

5. मेरे बेटे व पीड़ित लकी की जान की रक्षा व न्याय की रक्षा के लिये मामला तुरंत संज्ञान में लेते हुये मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाँच करवाने का आदेश दिया जाये

6. आवश्यक दस्तावेज़ साथ में संलग्न है|

चंद्रकला ठाकुर

शिकायतकर्ता